न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व अपील संख्याः **01/2013** दायर दिनाँक **08.01.2013**

अपीलार्थीगण		प्रत्यर्थीगण
1. नाथूराम पुत्र दुलाराम, 2. हरिराम दत्तकपुत्र चुनीदेवी पत्नी भोलाराम एवं भोलाराम पुत्र दुलाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रिक्साबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. ग्रामपंचायत निमोद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. चुनीदेवी पत्नी भोलाराम, 3. सन्तोष पुत्री भोलाराम, 4. मुन्नीदेवी पुत्री भोलाराम, 5. गोविन्दराम पुत्र भोलाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–रिक्सा बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

अपील,
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 द्वारा
ग्रामपंचायत–निमोद, अन्तर्गत धारा–75 R.L.R.Act.

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.06.2018**

अपील का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद निमोद में खसरा नम्बर 28.09 बीघा भूमि अवस्थित है जिसमें हिस्सा 1/2 भाग भूमि की खातेदारी नाथूराम, गुमानाराम, भोलाराम व गोविन्दराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। भोलाराम अपील पेशगी के तेईस वर्ष पूर्व फौत हो गया। भोलाराम के वारिशान् उसकी पत्नी चुन्नीदेवी, उसकी पुत्रियाँ सन्तोष व मुन्नीदेवी है। चुन्नीदेवी व उसके पति ने हरिराम पुत्र सुरेशकुमार को गोद पुत्र लिया और उसकी लिखित दिनाँक 20.07.2009 की गयी। ऐस, भोलाराम के चार वारिशान्– उसकी पत्नी–चुन्नीदेवी, उसका गोदपुत्र–हरिराम, उसकी पुत्रियाँ– सन्तोष व मुन्नीदेवी, हुए।

मुन्नीदेवी अकेली द्वारा अपने नाम नामान्तरकरण करवाकर जमीन अन्य व्यक्ति जयरामाराम को बैचाण की गयी।

चुन्नीदेवी ने गुमानाराम व भोलाराम को फौत बताकर व उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा छुपाकर, दिनाँक 05.10.12 को ग्रामपंचायत निमोद से अपने नाम व अपनी बेटियों के नाम फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

करवा लिया। हरिराम, चुन्नीदेवी का दत्तकपुत्र है तथा भोलाराम का वाजिब वारिश है।

ग्रामपंचायत निमोद ने इस बाबत् कोई जाँच नहीं की। गुमानाराम दिनाँक 03.012007 को फौत हुआ। गुमानाराम क हिस्से की जमीन का नामान्तरकरण उसके जीवित भाई नाथूराम व गोविन्दराम के नाम भरा जाना था। ग्रामपंचायत निमोद ने भोलाराम व गुमानाराम को मृत बताकर उक्त नामान्तरकरण चुन्नीदेवी, सन्तोष व मुन्नीदेवी के नाम से स्वीकृत किया। हरिराम, चुन्नीदेवी व भोलाराम का वाजिब वारिश होते हुए भी, उक्त नामान्तरकरण केवल चुन्नीदेवी, सन्तोष व मुन्नीदेवी के नाम से स्वीकृत किया गया।

प्रार्थना अपीलार्थी है कि,

शरहद मौजा निमोद में खेत खसरा नम्बर 369 रकबा 28.09 बीघा का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 को अपास्त किया जाकर भोलाराम के स्थान पर उसके जायज वारिश हरिराम को उसका वारिश घोषित किया जावे। हरिराम को भोलाराम का जायज वारिश किया जावे तथा चुन्नीदवी, सन्तोष व मुन्नीदेवी के साथ हरिराम के नाम से नामान्तरकरण भरा जावे। फौत गुमानाराम की जमीन का नामान्तरकरण उसके वारिशान् भाई नाथूराम व गोविन्दराम के नाम से दर्ज किया जावे।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण संख्या 01, 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से इनके विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थीगण 02 व 03 की ओर से जवाब पेश हुआ।

अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन में, शपथ–पत्र, विक्रय–पत्र दस्तावेज संख्या 119/10 दिनाँक 18.01.2016 की छायाप्रति, भोलाराम की मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनाँक 27.09.1990 की छायाप्रति, नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गोदनामा दस्तावेज संख्या 10/09 दिनाँक 20.07.2009 की छायाप्रति, जमाबन्दी ग्राम निमोद सम्वत् 2067–207 खेवट संख्या 134/116 खसरा नम्बर 369 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**निमोद** में पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीगण उपस्थित। अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाने का निवेदन कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण अपील में गैरहाजिर हैं।

मजमें आम में अपील के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण की इस्तुदआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की इस्तदुआ पर मनन् करने व मिसल पर उपलबध रिकॉर्ड का अवलोकन करने तथा मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मद्दे नजर जैर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–अपील, संख्या 01/2013
दायर दिनाँक 08.01.2013, निर्णय दिनाँक 12.06.2018
नाथूराम, वगैरा बनाम् ग्रामपंचायत निमोद, वगैरा।

नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 को अपास्त किया जाना नजर अज अदालत न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 को अपास्त किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्तगत अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए, नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनाँक 05.10.2012 अपास्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि, दिगर प्रकरण में वारिशान् की हकमुताबिक आवश्यक जाँच बाद, नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण निर्णय पारित करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय, आज दिनाँक **12.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–निमोद

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner